निगरानी प्रकरण क्रमांक

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के समक्ष

R 2803-II/13

नवरतन टेक बिल्ट प्रा.लि.

द्वारा डायरेक्टर राजेश पिता रामअवतार गुप्ता

आज दि. 19-7-13 को

ऑफिस – 58, आर्बिट माल, इन्दौर — प्राथी

क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-7-13

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन द्वारा तहसीलदार
   तहसील कार्यालय, इन्दौर
2. श्रद्धा बिल्डकॉन प्रा.लि.
   582, लाभगंगा, एम.जी.रोड, इन्दौर — प्रतिप्राथीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता

श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील इन्दौर द्वारा दिनांक 01.07.2013 को प्रेषित सूचनापत्र क्रमांक 1773/री.त./2012 का दिया गया है जिससे असन्तुष्ट होकर यह निगरानी आवेदन निम्न आधारों पर प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2803–दो/2013 **जिला इंदौर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9.3.2017	आवेदक अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी उपस्थित । अनावेदक कमांक 1 शासन की ओर से पेनल लॉयर श्री डी0के0शुक्ला अधिवक्ता उपस्थित । प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रकाश में प्रकरण का अध्ययन किया गया । प्रकरण के अध्ययन से स्पष्ट है कि इसी विषयवस्तु पर पूर्व में राजस्व मण्डल के द्वारा आवेदक की निगरानी निरस्त की गई थी जिसकी सूचना तहसीलदार द्वारा दिनांक 1–7–13 को संबंधित पक्षकार को देकर जारी कारण बताओ सूचना पत्र का जबाव प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है । मात्र इसी पत्र के विरूद्ध यह निगरानी राजस्व मण्डल में दर्ज कर न्यायालय में प्रचलित है, जबकि प्रथमदृष्टया ही यह निगरानी ग्राहय योग्य नहीं थी । राजस्व मण्डल की आदेश पत्रिका दिनांक 20–1–14 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 20–1–14 को निगरानी मेमों में संशोधन कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 19–7–13 को निगरानी मेमों में जोड़ा गया है, जबकि तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–7–13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार का आदेश दिनांक 19–7–13 अंतिम प्रकृति का आदेश होकर अपील योग्य आदेश है जिसके विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी सुने जाने का कोई औचित्य नहीं था। 2/ उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में यह निगरानी राजस्व मण्डल में चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से समाप्त की जाती है । अभिलेख वापिस भेजा जाये । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	